मांग पत्र

राजस्थान विधानसभा चुनाव – 2023

राजस्थान में अनुसूचित जाति के मतदाता करीब 17.80 प्रतिशत हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने हितों के लिए निम्न मांगे राजस्थान के अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी संस्था डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर के माध्यम से विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने हेतु प्रस्तुत करते हैं | इनमे से ज्यादातर मांगे राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार के समक्ष समय समय पर डॉ.अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर द्वारा पत्राचार के माध्यम एवं व्यक्तिगत रूप से भी रखी जा चुकी हैं एवं मांग पत्र अनुसूचित जाति वर्ग के सुझावों पर आधारित हैं :-

1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) :-

   i. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.2018 के संदर्भ में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों ने दिनांक 2 अप्रैल 2018 को भारत बन्द का आह्वान किया था। भारत बंद के दौरान राजस्थान में पुलिस द्वारा कई मुकदमें दर्ज किये गये थे | उनमें से राज्य सरकार से सम्बन्धित काफी मुकदमे न्यायालय से जनहित में वापिस लिए जा चुके हैं, शेष बचे मुकदमे भी वापिस लिए जायें | कुछ मुकदमें (लगभग 16 मुकदमे) जिनमें केंद्र सरकर की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने का भी आरोप है, जो कि बिल्कुल ही निराधार है ।

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

केंद्र सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर इन सभी मुकदमों को न्यायालय से जनहित में वापिस लिए जायें |

ii. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायें |

iii. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) 1990 से लागू हो गया था परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा 2011 में नियम बनाए गए एवं अधिनियम में 2015 व 2019 में संशोधन किए गए | इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रावधान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई हैं, जिसमें इस कानून के तहत दर्ज मुकदमों की समीक्षा की जाती है | इस कमेटी का पुनर्गठन देरी से करना एवं इसकी नियमित बैठकें नहीं होने के कारण इसके क्रियान्वयन से संबंधित आ रही समस्याओं के समाधान की गति धीमी रहती है | इन बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया जायें | जिन मुकदमों में अंतिम प्रतिवेदन पुलिस जांच के बाद बंद करने का निर्णय लिया जाता है, यदि न्यायालय से भी अनुमोदित कर दिया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में कम से कम 5% मुकदमों की पुनः जांच की जानी चाहिए | इसके साथ ही जिन अधिकारियों की इस कानून की पालना कराने में भूमिका अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध पायी जाती है, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें ।

iv. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 14.04.2016 के बाद अभी तक पीड़ित व्यक्ति को प्रदान की जाने

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

वाली राहत राशि नही बढाई गयी है | इस राशि को हर तीसरे वर्ष बढ़ाने का प्रावधान कानून में किया जायें |

v. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को अधिकतम रुपये 8,25,000/-की राशि प्रदान की जा रही है | जबकि यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा काफी हत्याओं के मामले में अविलम्ब पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 50 लाख रुपये तक की राहत राशि प्रदान की गयी है | अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत हत्या के मामले में भी कानून में संशोधन करके पीड़ित व्यक्ति के परिवार को 50 लाख रूपए की राशि प्रदान की जायें |

vi. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति/ परिवार को मृत्यु उपरांत पुनर्वास के अंतर्गत नियमित सरकारी नौकरी अथवा नियमित संविदा नौकरी का प्रावधान किया जायें |

vii. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अंतर्गत निःशक्त व पीड़ित व्यक्ति/ परिवार को पुनर्वास के अंतर्गत नियमित सरकारी नौकरी अथवा नियमित संविदा नौकरी का प्रावधान किया जायें |

viii. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति एवं हत्या से पीड़ित परिवार को पुनर्वास के अंतर्गत सरस डेयरी बूथ के आवंटन का प्रावधान किया जायें |

ix. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति/ परिवार को न्यायालय में पैरवी के लिए पीड़ित व्यक्ति/ परिवार की इच्छा अनुसार अधिवक्ता सरकारी खर्चे पर उपलब्ध कराया जायें|

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

x. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अंतर्गत निःशक्त व्यक्ति एवं हत्या से पीड़ित परिवार को पुनर्वास के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में कम से कम 150 वर्गगज का बना हुआ रहने लायक मकान के निःशुल्क आवंटन का प्रावधान किया जायें |

xi. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर वर्ष बजट में उचित मात्रा में बजट का प्रावधान किया जायें |

xii. अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) में दर्ज प्रकरणों का निस्तारण अधिनियम अनुरूप समय में नही हो पा रहा है अतः समुचित संख्या में अतिरिक्त न्यायालय इस प्रयोजन हेतु स्थापित किए जाएँ |

2. राजकीय सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य योजनाओं में आरक्षण नीति :-

i. राजस्थान सरकार की राजकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रतिशत पिछले 50 वर्ष से नहीं बढ़ाया गया है और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की 1961 की जनगणना के आधार पर 1971 में 16 व 12 प्रतिशत निर्धारित किया गया आरक्षण ही जारी है | जबकि इसके बाद देश में हर दशक यानि 1971, 1981, 1991, 2001 व 2011 में अब तक पाँच बार जनगणना हो चुकी है | जिसमे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनगणना के आंकड़े भी इकट्ठे किये गये हैं | जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति की 17.80 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति की 13.50 प्रतिशत जनसंख्या है | अतः अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 17.80 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13.50 प्रतिशत किया जायें | जबकि जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार लोकसभा एवं

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

विधानसभाओं में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में सांसदों एवं विधायकों की संख्या बढाई जा चुकी है |

ii. निजी क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों को भी सरकारों द्वारा कई प्रकार की रियायतें / सहायता प्रदान की जाती है एवं पिछले तीन दशक में सरकारी भर्तियों में लगातार कमी की जाती रही है, अतः निजी क्षेत्र में नौकरियों में भर्तियों में आरक्षित वर्गों को (अनुसूचित जाति सहित) सरकारी सेवाओं में लागू आरक्षण नीति अनुरूप राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान किया जायें |

iii. टीएसपी क्षेत्र एवं बारां जिले के (सहरिया क्षेत्र किशनगंज एवं शाहाबाद पंचायत समिति) अनुसूचित जाति वर्ग में भारी असंतोष व रोष है क्योंकि राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति का आरक्षण केवल 5 प्रतिशत है एवं बारां जिले में (सहरिया क्षेत्र किशनगंज एवं शाहाबाद पंचायत समिति) केवल 8 प्रतिशत है | यह आरक्षण प्रतिशत राजस्थान में लागू 16 प्रतिशत में कटौती करके कम किया गया है जबकि EWS आरक्षण में टीएसपी क्षेत्र एवं बारां जिले (सहरिया क्षेत्र किशनगंज एवं शाहाबाद पंचायत समिति) में किसी प्रकार की कटौती नहीं की गयी है | इस प्रकार राजस्थान में अनुसूचित जाति का औसत आरक्षण करीब 14 प्रतिशत ही प्रभावी है | अतः इसी नीति (EWS) के तहत टीएसपी क्षेत्र एवं बारां जिले में भी अनुसूचित जाति का आरक्षण प्रतिशत 16 प्रतिशत (17.80 प्रतिशत 2011 के जनगणना अनुसार) किया जायें जिससे कि राजस्थान में कुल आरक्षण प्रतिशत 16 प्रतिशत हो सके |

iv. टीएसपी क्षेत्र एवं बारां जिले के (सहरिया क्षेत्र किशनगंज एवं शाहाबाद पंचायत समिति) अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों में भारी असंतोष व रोष है क्योंकि राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

कर्मचारियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति का आरक्षण केवल 5 प्रतिशत है एवं बारां जिले में (सहरिया क्षेत्र किशनगंज एवं शाहाबाद पंचायत समिति) केवल 8 प्रतिशत हैं | पूर्व में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों, जो कि 16 प्रतिशत के आधार पर नियुक्त किये गये थे, उन्हें अब 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत का आरक्षण ही पदोन्नति में उपलब्ध है, जिसके कारण अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को इन क्षेत्रों में वरिष्ठ होते हुए भी अन्य वर्गों के समान पदोन्नति के अवसर प्राप्त नहीं हैं, जिसके कारण इनमें घोर निराशा पनपी हुई है | अतः टीएसपी क्षेत्र एवं बारां जिले के (सहरिया क्षेत्र किशनगंज एवं शाहाबाद पंचायत समिति) क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारियों को भी राजस्थान की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार पदोन्नति में 16 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायें |

v. राजस्थान में लाखों की संख्या में संविदाकर्मी कार्यरत हैं, जिनमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए नियमों में आरक्षण होने के बावजूद भी प्रदत्त आरक्षण के प्रतिशत का दसवां हिस्सा भी इन वर्गों के संविदाकर्मियों से नहीं भरा गया है | दिनांक 11 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत संविदा कर्मियों को संविदा नियम 4 के अंतर्गत पुनः अनुबंधित करते समय आरक्षित वर्गों के रिक्त पदों को भरा जायें एवं आरक्षित वर्गों की संविदाकर्मियों की बैकलॉग वेकेंसी की गणना करवाकर विशेष अभियान के अंतर्गत भरी जावे |

vi. राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग का सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में केवल 26 प्रतिशत (21% ओबीसी एवं 5% एमबीसी) आरक्षण है जबकि इनकी जनसंख्या राजस्थान में 50% से अधिक है | अतः अन्य पिछड़ा वर्ग की भी जनगणना करवाकर इस वर्ग को सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

vii. राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों, महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों एवं राजीव गाँधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम 2023 जैसी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान नहीं किये जाने के कारण इन वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य है | अत: इन वर्गों को ऐसी सभी भर्तियों में सरकारी सेवाओं में प्रदत्त आरक्षण के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जायें एवं विशेष अभियान के अंतर्गत उक्त पदों को भरा जायें |

viii. राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम पंचायत सहायकों की आंशिक, संविदा, मानदेय के आधार पर 28000 पदों पर नियुक्ति की गयी जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण नहीं दिया गया | यह पद अंशकालीन रूप से भरने की प्रक्रिया की गयी, परन्तु पिछले पांच वर्ष से इन पदों को निरंतर बढ़ाया जाता रहा है | इसमें आरक्षण लागू कर इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायें |

ix. राजस्थान सरकार की "राजीव गाँधी स्कॉलरशिप फॉर अकेडमिक एक्सीलेंस योजना-2021" के अंतर्गत छात्रों को विदेश में पढाई करने हेतु छात्रवृति प्रदान की जाती है, परन्तु इस योजना में एससी,एसटी,ओबीसी एवं एसबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है | अत: इस योजना में एससी,एसटी,ओबीसी एवं एसबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जायें |

x. RIICO द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को केवल छोटे प्लॉट आवंटित करके आरक्षण के आंकड़े पूरे करने की कोशिश की जाती है, जबकि आरक्षण कुल आवंटित जमीन के प्रतिशत के हिसाब से किया जाना चाहिए |

xi. RIICO द्वारा 4000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक प्लॉटों/जमीनों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रिजर्व

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

प्राइस की आधी कीमत पर बिना ऑक्शन के ही आवंटित किये जायें |

xii. राजस्थान सरकार द्वारा राजनीतिक एवं विवेकाधिकार नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायें | यह देखने में आया है कि नोटेरी पब्लिक एवं लोक अभियोजक आदि नियुक्त करते समय इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है | साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण स्पेशल न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिवक्ताओं को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया जायें |

xiii. विद्या संबल योजना के अंतर्गत Guest Faculty पर की जा रही भर्ती में SC/ST वर्ग को निर्धारित आरक्षण दिया जायें |

xiv. ग्राम प्रतिहरियों/ अंशकालीन सहायकों को आर्थिक संरक्षणार्थ स्थाई नियुक्ति प्रदान की जायें एवं इन नियुक्तियों में आरक्षित वर्ग को राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जायें |

xv. PWD, PHED, जल संसाधन, स्थानीय निकाय, पंचायतीराज, तकनीकी, आबकारी, खनन, बजरी, खाद्य विभाग आदि में सरकारी ठेको में अनुसूचित जाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायें | साथ ही केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकों में 5 प्रतिशत तक का Price Preference एवं EMD आदि में प्रदान की गयी रियायतें भी दी जायें |

xvi. जिन भी विभागों में आरक्षण नियमों की अवहेलना की जाती है उनमें जिम्मेदारी तय करने और दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु एक कानून बनाया जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

xvii. राजस्थान सरकार द्वारा "महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों" की 50,000 पदों पर भर्ती में अनुसूचित जाति एवं अन्य आरक्षित वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जायें|

xviii. राजस्थान में विभिन्न विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के आरक्षण रोस्टर विश्वविद्यालय को एक इकाई मानने के बजाय विभिन्न विभागों को एक इकाई मानकर तैयार करते हैं, जिसके कारण आरक्षित वर्गों की पदों में भारी कटौती हो जाती हैं, यह UGC के दिशा निर्देशों के सर्वधा विपरीत कार्य है | विश्वविद्यालयों द्वारा जारी भर्ती सूचना में यह सूचना भी शामिल कि जायें कि आरक्षित पदों की गणना विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर आरक्षण रोस्टर तैयार करके किया गया है | एक अभियान के तहत विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर विभिन्न पदों का आरक्षण रोस्टर तैयार करके बैकलॉग पदों की गणना की जायें एवं विशेष अभियान के तहत इन पदों में आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों की भर्ती सुनिश्चित की जायें |

xix. राजस्थान सरकार के सभी विभागों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की चल रही बैकलॉग रिक्तियों को विशेष अभियान के तहत भरा जायें |

xx. राजस्थान सरकार द्वारा राजनीतिक एवं विवेकाधिकार नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायें | यह देखने में आया है कि नोटेरी पब्लिक एवं लोक अभियोजक आदि नियुक्त करते समय इन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है | साथ ही अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण स्पेशल न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिवक्ताओं को विशिष्ट लोक अभियोजक नियुक्त किया जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

xxi. मा बाड़ी योजना में कार्यरत समस्त शिक्षा सहयोगियों को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (TAD) में शामिल करते हुए वरीयता के आधार पर कैडर निर्धारित कर संविदा सेवा नियम 2022 में सम्मलित कर नियमित किया जायें |

3. राजस्थान प्रदेश के सभी प्रकार के संसाधनों (आर्थिक, भौतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, जल एवं जमीन इत्यादि) में अनुसूचित जाति को जनगणना वर्ष 2011 एवं आगामी जनगणना वर्ष 2021 की जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा किया जाने/ प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कानून पारित किया जायें |

4. **राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग एवं राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देना:-**भारत सरकार द्वारा 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 व 338A के तहत किया गया है। इससे पूर्व भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को 65वें संविधान संशोधन के अनुरूप संवैधानिक दर्जा दिया गया था | राजस्थान सरकार द्वारा भी राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग व राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग दोनों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कार्यवाही की जायें |

5. राजस्थान सरकार द्वारा काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना एवं अन्य योजनाओ के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है परन्तु इन योजनओं में अनुसूचित जाति की छात्राओं को इस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम स्कूटियों एवं प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाता है | अत: अनुसूचित जाति की छात्राओं को इनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्कूटियों के वितरण एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान करें | साथ ही स्कूटी वितरण योजनाओं में अनुसूचित जाति की छात्राओं की पात्रता अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग से अधिक रखी गयी है, अतः स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि वितरण में अनुसूचित

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

जाति की छात्राओं की पात्रता (अंक) अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग से कम रखी जावे |

6. **संविधान संशोधन 77वां एवं 85वां की पालना कर आरक्षित कर्मचारियों/ अधिकारियों को स्वयं की वरीयता के लाभ के साथ पदोन्नत होने पर अनारक्षित पदों के विरुद्ध समायोजित करना :-** राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 सितंबर 2011 के क्रियान्वयन के संदर्भ में भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 16 (4A) व (4B) को संशोधित करते हुए पदोन्नति में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी/अधिकारियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा | इसके साथ ही उन्हें वरीयता का अधिकार भी पदोन्नति के साथ मिलेगा | इसके बावजूद भी आरक्षित वर्ग के पदोन्नत किए जाने वाले अधिकारियों /कर्मचारियों को अपनी स्वयं की वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है | नियमों एवं संवैधानिक प्रावधानों का विवेचन गलत किया जा रहा है इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों/ अधिकारियों को 17 जून 1995 के बाद होने वाली पदोन्नति में उन्हें पदोन्नति के साथ-साथ अपनी सीनियरिटी भी मिलेगी, लेकिन इन प्रावधानों को लागू करते वक्त इसकी स्पष्टता नहीं की गई, इस कारण से इनकी विवेचना भी अलग-अलग की जा रही है | जिससे आरक्षित वर्ग के पदोन्नत अधिकारियों को अपनी स्वयं की वरीयता का लाभ नहीं मिल रहा है तथा उन्हें अनारक्षित पदों के विरुद्ध नहीं माना जा रहा है | अनुसूचित जाति /जनजाति का आरक्षण का प्रतिशत पूरा होने के बाद भी वरिष्ठ अनुसूचित जाति/ जनजाति के कर्मचारी/ अधिकारियों को पदोन्नति उनकी स्वयं की वरीयता के आधार पर देय होती है तथा ऐसे सभी पदोन्नत कर्मचारी/ अधिकारी अनारक्षित पदों के विरुद्ध पदोन्नत होंगे । इसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर दी गई राय /स्पष्टीकरण एवं **No. F. 7(I)DOP/A-II/99** दिनाक 26.07.2017 परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

i. राज्य सरकार को पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग/परिवहन/आयोजना विभाग/ऊर्जा/पशुपालन/ सांख्यिकी, राजस्व विभाग व नगरीय विकास एवं अन्य विभागों को समय-समय पर दिए गए मार्गदर्शन/राय के आधार पर उन सभी बिन्दुओं का समावेश करते हुए निम्न बिन्दुओं पर सामान्य परिपत्र जारी किया जाना चाहिए:-

a. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी स्वयं की वरीयता (Own Merit) अर्थात सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential Seniority) का लाभ लिये वरिष्ठ है तो उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा।

b. सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर अथवा मैरिट/आरक्षण/बैकलॉग के आधार पर चयनित हुआ है । यदि आरक्षण का लाभ लिए बिना चयनित कोई कार्मिक किसी एक स्तर पर पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिए भी हो, तो भी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत हो सकेगा बशर्ते कि आरक्षित श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं हो ।

c. अनारक्षित श्रेणी के रोस्टर बिन्दुओं के विरूद्ध अनारक्षित श्रेणी के पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर आरक्षित श्रेणी के मेरिट के आधार पर पात्र अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जायेगा।

d. यदि किसी पद/संवर्ग में कुल पदों की संख्या 08 तक है और पदोन्नति के लिए उपलब्ध रोस्टर के अनुसार आरक्षित (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति) वर्ग का रोस्टर बिन्दु उपलब्ध नहीं है और आरक्षित वर्ग का पात्र कार्मिक सेवा के प्रवेश के समय की वरिष्ठता के अनुसार वरिष्ठ है तो

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

उसे केवल इस आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा कि रोस्टर क्रम में आरक्षित रिक्ति उपलब्ध नहीं है।

e. किसी भी संवर्ग में सर्वोच्च पद हेतु यदि किसी वर्ष में पात्र अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित श्रेणी की रिक्ति को अनारक्षित श्रेणी के पात्र अधिकारी से भर दिया जाता है तो बाद में आरक्षित श्रेणी का पात्र अधिकारी उपलब्ध होने पर आरक्षित श्रेणी के रोस्टर बिन्दु/रिक्ति का इन्तजार किए बिना जैसे ही रिक्ति (अनारक्षित) उपलब्ध होती है तो पहले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के मेरिट के अनुसार उपयुक्त पाये जाने पर उसकी पदोन्नती पर विचार किया जाए ताकि संवर्ग में आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व का समानुपात बना रहे | (पशुपालन विभाग दिनांक 26.07.2022)

ii. राज्य कर्मियों की मूल वरिष्ठता/ स्वयं की वरिष्ठता (own merit) के आधार पर पदोन्नति की जाती है परन्तु अभी गत महीनों में PHED, PWD, PLANNING, POLICE DEPTT, ENERGY DEPTT आदि अनेक विभागों में मूल वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन कर DPC की गई हैं | इन DPCs का रिव्यु कर वंचित कार्मिकों की पदोन्नति की जायें |

iii. राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के क्रम में 100 बिन्दुओं का रोस्टर पॉइंट निर्धारित करते हुए उसमे अनुसूचित जाति के लिए 16% तथा जन जाति के लिए 12% का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत सातवाँ पद अनुसूचित जाति व नौवां पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित होता है | इन प्रावधानों का सामान्यतः L- Shape Roster (आठ पदों तक वाले काडर में) आरक्षण के हितों के विपरीत उपयोग किया जाता है | वर्तमान में अनुसूचित जाति की 16 व 12 % के हिसाब से गणना की जायें तो SC का 6वां बिन्दु व ST का 8वां बिन्दु निर्धारित होना चाहिए अतः L-Shape Roster में SC/ST के लिए इन वर्गों की जनसँख्या के अनुपात में निर्धारित किये जाएँ |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

iv. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.11.2018 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 को अवैध घोषित कर दिया गया है | अतः इस निर्णय की पालना में कार्मिक विभाग द्वारा इस अधिसूचना को तुरंत प्रत्याहारित (withdraw) किया जायें |

v. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में भी समस्त विभागों में SC/ST वर्ग के कार्मिकों की कार्य स्थल पर शिकायतों के निराकरण के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया जायें |

vi. आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC/EWS) के लिए सेवाओं में आरक्षण के सम्बन्ध में समस्त विभागों में रोस्टर पंजिकाओं (ROSTER REGISTERS) का समुचित रूप से संधारण करने, व इन पंजिकाओं को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने, बैकलॉग रिक्तियों को भरने की कारवाही सुनिश्चित की जायें | साथ ही रोस्टर पंजिकाओं पर वरिष्ठता सूची के अनुरूप ही कार्मिकों से आपत्तियां मांगी जायें एवं फिर अंतिम रोस्टर पंजिका जारी की जायें |

vii. राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से आरक्षण नीति लागू करने के लिए कार्मिक विभाग में नया आरक्षण प्रकोष्ठ बनाया जाकर सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल ऑफिसर मनोनीत किया जावे ताकि आरक्षण नियमों की पालना सुनिश्चित की जायें |

7. राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों एवं सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर आरक्षण देना :-

i. राजस्थान के अंतर्गत जितने भी सरकार से अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय हैं उनमें आरक्षित वर्ग के कुलपति भी नियुक्त किए जाने चाहिए क्योंकि अभी इनका प्रतिनिधित्व नगण्य है | इस संदर्भ में राजस्थान सरकार से अनुदान प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का एक आरक्षण रोस्टर बनाया जायें एवं इन सभी

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की नियुक्ति में बारी बारी से जिला प्रमुख/ मेयर के निर्वाचन में प्रयुक्त प्रणाली के अनुसार आरक्षित वर्गों से कुलपतियों की नियुक्ति की जायें |

ii. कुलपतियों की नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली सर्च कमेटी में कम से कम एक-एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग से हो | इसके लिए The West Bengal University Laws (Amendment) Bill 2023 के अनुरूप ही राजस्थान सरकार द्वारा कानून पारित किया जायें | राजस्थान में इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रावधान कानून में किया जायें जिससे कि कुलपति महोदय राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था का सही से आंकलन कर सकें | इन कुलपतियों की नियुक्ति में राजस्थान सरकार के स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में कार्यरत अथवा सेवानिवृत प्रिंसिपल/प्रोफेसर्स को भी कुलपति की नियुक्ति में योग्य माना जायें |

iii. विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानते हुए पद आधारित रोस्टर का क्रियान्वयन कर के सहायक प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर व प्रोफेसर पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रतिनिधित्व एवं बैकलॉग रिक्तियों को भर के पूरा किया जायें ।

8. **वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन निवासी जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधन सम्बन्धी अधिकारों को मान्यता प्रदान करना :-** जनजातीय समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को जो वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जरूरतों के लिए निर्भर थे, जिसमें आजीविका, निवास व कृषि कार्य से परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं तथा 2005 से पहले से काबिज हैं तो उन्हें इसका अधिकार पत्र दिये जाने का प्रावधान किया गया है | इस प्रक्रिया में ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर आवेदनों की जांच कर उन्हें स्वीकार करना या निरस्त करना है | इस प्रक्रिया में राजस्थान में कुल 62949 अंतिम रूप से राज्य स्तर

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

पर वन अधिकार दावे खारिज किए जा चुके हैं | माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2019 के निर्णय के अनुसार ऐसे लोगों को वन क्षेत्र से बेदखल किया जाए | इसका मुख्य कारण यह है कि उनके पास वन भूमि से आजीविका, खेती एवं निवास करने का कोई सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन खारिज हो जाते हैं जबकि वे वन क्षेत्र में कई पीढ़ियों से अपनी आजीविका, खेती एवं निवास करते आ रहे हैं | राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों की पुनः जांच की जायें तथा इसके बाद भी यदि उनके आवेदन निरस्त होते हैं तो उन्हें सरकार विस्थापित करे ।

9. राजकीय छात्रावासों (SC/ST) के विद्यार्थियों के आवासीय मेस भत्ते की देय राशि को राज्य में लागू पुलिस कर्मियों/नर्सिंग स्टाफ अथवा जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों को देय मेस भत्ते के सामान किया जावे तथा जब जब भी इन कर्मियों/छात्रों के मेस भत्ते में वृद्धि की जायें , उसी के अनुरूप SC/ST के आवासीय छात्रावासों के लिए भी सामानांतर वृद्धि की जायें | इस राशि में इन छात्रावासों के रख रखाव एवं बिजली पानी इत्यादि पर होने वाले खर्चों को शामिल नहीं किया जायें |

10. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना-2018 के दिशा निर्देश संख्या -2.1 के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रति विधान सभा क्षेत्र के लिए आवंटित कम से कम 20% राशि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बस्तियों एवं सम्बल ग्रामों के विकास कार्यों पर अनुसंशित करना अनिवार्य होगा | राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति की 17.80 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति की 13.50 प्रतिशत, कुल 31.30 प्रतिशत है | अतः विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना-2018 में इस राशि को 20 प्रतिशत से बढाकर 31.30 प्रतिशत की जायें | साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इसको अलग-अलग से 17.80 प्रतिशत व 13.50 प्रतिशत किया जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

11. आज़ादी के बाद से गोचर भूमि, चारागाह भूमि, गैर मुमकिन भूमि, पड़तल भूमि, जोहड़ आदि में कच्चे पक्के मकान बना कर रह रहे SC/ST के लोगों को जनसंख्या भूमि में प्रवर्तित कर स्थाई रूप से काबिज़ कर पट्टे दिए जाएँ |
12. SC/ST की कृषि भूमियों पर गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के द्वारा किये गये कब्जों से मुक्त कराने के लिये सरकार द्वारा विशेष अभियान चला कर उन्हें पुनः काबिज किया जायें | ऐसे अपराधों को अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अंतर्गत अपराधों की श्रेणी में शामिल किया जायें |
13. कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014-15 में एससी/एसटी के 153 पदों की सक्षम स्वीकृति के बिना कटौती की गयी जिसकी बहाली की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद भी RPSC परिणाम जारी नहीं कर रही है | सरकार को इस संबध में स्पष्ट निर्देश RPSC को प्रदान करते हुए परिणाम जारी करें एवं इन पदों पर अविलम्ब नियुक्तियां की जायें|
14. दिनांक 01.02.2022 को RSMSSB बोर्ड द्वारा कुल 10157 (9862-बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक व 295-सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक) पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिसमे मात्र 7069 अभ्यर्थी ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उत्तीर्ण हुए हैं तथा विज्ञप्ति के अनुसार कुल पदो के दुगने अभ्यर्थियों की संख्या में 13245 अभ्यर्थियों को और चयनित किया जाना चाहिए था।इस कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरियां नही मिली एवं पद रिक्त रहे | इसका मूल कारण RSMSSB बोर्ड द्वारा गलत प्रश्न जो कि हटाये (Deleted) गये थे, RSMSSB बोर्ड द्वारा बोनस अंक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा रीट परीक्षा अनुसार प्रदान नही किये गये, जिसके कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी न्यूनतम अंको की बाध्यता (GEN, EWS, OBC, MBC-40% व SC/ST - 35%) को पूरा नहीं कर पाए | अतः गलत प्रश्न जो कि हटाये

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

(Deleted) गये थे, उनके RSMSSB बोर्ड द्वारा बोनस अंक सभी अभ्यर्थीयों को प्रदान किये जायें एवं इस परीक्षा का परिणाम पुनः घोषित किया जायें | इस प्रकार कुल विज्ञापित 10157 पदों को भरा जाकर बेरोजगारों को राहत प्रदान करें |

15. TSP/SCP के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान करते हुए उन्हें अनिवार्य रूप से खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जायें |चूँकि वर्तमान में जनसंख्या के अनुपात में न तो बजट प्रावधान किये जा रहे हैं और न ही विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किया जा रहा है | इसलिए इसके लिए मोनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित किया जायें |
16. सफाई कर्मचारियों की भर्तियाँ आउटसोर्स न करके नियमित भर्तियों के द्वारा की जायें | किसी भी दशा में ठेका पद्दति पर ये कार्य नहीं करवाया जायें | तथा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 को प्रभावी रूप से लागू किया जायें |
17. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 6 से 10 तक पाठ्यक्रम में भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जीवन आदर्शों व उपलब्धियों पर आधारित एक कोर्स सम्मिलित किया जायें |
18. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में छात्र छात्राओं को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु दी जाने वाली राशि के लिए हिंदी माध्यम की और अधिक कोचिंग संस्थाओं को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की सूची में शामिल करके हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को सम्बल प्रदान किया जायें |
19. सभी प्रकार की भर्तियों में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता की मेरिट के आधार पर बनाये जाने वाली मेरिट सूची के बजाय लिखित परीक्षा आयोजित कर मेरिट सूची बनाई जायें |
20. सभी प्रकार की भर्तीयों में केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के अनुसार ही मेरिट / चयन सूची बनाई जायें एवं सभी प्रकार के पदों की भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान समाप्त किया जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

21. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना एवं राजस्थान अम्बेडकर DBT वाउचर योजना में चयन के लिए सीधी मेरिट सूची के बजाय लिखित प्रतियोगी परीक्षा या (CET) के माध्यम से चयन किया जायें ताकि सभी अभ्यार्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले |
22. राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर परिसर से गैर क़ानूनी रूप से लगाई गयी मनु की मूर्ति को हटाया जायें | इस संदर्भ में चूँकि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर प्रशासन भी एक पक्ष है एवं बीस वर्ष से अधिक समय से राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे की सुनवाई नहीं हो रही है, अतः इस मुकदमे को राजस्थान सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए भिजवाया जायें और इसको न्यायालय परिसर से हटाने के अन्य उपाए भी किये जायें |
23. आर्थिक पिछड़ा वर्ग को प्रदान सरकारी सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य सभी सुविधाएँ प्रदान करने के नियमों में परिवार की आय 8.00 लाख रुपये वार्षिक तय की गयी है | पंरतु अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में पात्रता के लिए परिवार की आय 2.50 लाख रुपये वार्षिक रखी हुई है | अतः अनुसूचित जाति वर्ग के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं में पात्रता के लिए परिवार की आय 8.00 लाख रुपये वार्षिक की जायें |
24. मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुसूचित जाति की समस्याओं के निदान हेतु एक विशिष्ठ प्रकोष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी के नियंत्रण में स्थापना की जायें जो कि इस वर्ग की समस्याओं पर विभिन्न सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित कर सके |
25. राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक तहसील में जवाहर नवोदय विद्यालय के अनुरूप आवासीय विद्यालय स्थापित किये जायें जिसमे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के अलावा घुमन्तु समुदाय के छात्र छात्राओं के लिए भी विशेष आरक्षण हो |
26. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन, मुंडला जयपुर को पूर्ण शोध संस्थान का दर्जा प्रदान किया जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

27. प्रत्येक तहसील स्तर पर अम्बेडकर पुस्तकालयों एवं अम्बेडकर संग्रहालयों की स्थपाना की जायें |
28. अनुसूचित जाति की कार्यरत महिलाओं के लिए जिला स्तर पर Working Women Hostels की स्थापना की जायें |
29. अनुसूचित जाति वर्ग के सार्वजानिक हित के मुकदमों में अनुसूचित जाति की संस्थाओं को उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में पैरवी करने हेतु सरकारी खर्च पर ख्यातिनाम अधिवक्ता उपलब्ध करवाए जाएँ |
30. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एवं भारतीय रेलवे जैसे विभागों का निजीकरण रोका जायें|
31. राजस्थान सरकार के अधीन शहरी क्षेत्रों के कार्यालयों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को बहुत कम संख्या में पदस्थापित किया जाता है एवं दूरदराज / ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सरकारी कार्यालयों में पदस्थापित किया जाता है | ऐसा सेवाओं में प्रथम नियुक्ति एवं पदोन्नति में नियुक्ति के समय जिस क्रम में चयन सूची जारी की जाती है उसी क्रम में पदस्थापित किया जाता है | सेवाओं में प्रथम नियुक्ति एवं पदोन्नति में नियुक्ति के समय पदस्थापन में चयन सूची की बजाय आरक्षण रोस्टर को वरीयता प्रदान की जायें एवं आरक्षण रोस्टर के क्रमांक के अनुसार पदस्थापना में वरीयता प्रदान की जायें | विशेष अभियान के तहत इस विकृति को स्थानान्तरण द्वारा सही किया जायें |
32. भारत सरकार द्वारा कुछ संस्थानों को Indian Institute of National Importance का दर्जा प्रदान किया गया था उसमें मुख्यतः निम्न हैं –
    i. सभी Indian Institute of Technology
    ii. सभी Indian Institute of Science
    iii. सभी Indian Institute of Management
    iv. सभी National Institute of Technology

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

v. सभी Indian Institute of Information Technology

vi. एवं अन्य सभी भारत सरकार की सूची अनुसार

i. इन संस्थानों की ट्यूशन फीस का भुगतान अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के बजाय भारत सरकार द्वारा सीधे ही इन संस्थानों को किया जायें जिससे कि अनुसूचित जाति के अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इन संस्थानों में पढाई कर सके |

ii. इन संस्थानों में Teaching Faculty में आरक्षित वर्गों (विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग) का प्रतिनिधित्व नगण्य है, जिसके सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें |

iii. इसी क्रम में इन संस्थानों से आरक्षित वर्ग के Passed Out छात्र छात्राओं को भारत सरकार की प्रथम श्रेणी के पदों के अनुरूप नौकरी इन्ही संस्थानों में प्रदान की जायें एवं Teaching Faculty के लिए निर्धारित योग्यताओं हेतु आगे की पढाई सरकारी खर्च पर की जायें एवं निर्धारित योग्यता प्राप्त करने के उपरांत इनको Teaching Faculty में समाहित किया जायें |

33. अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में लोकसभा, विधानसभा एवं अन्य चुनावों में उनकी बस्तियों में ही मतदान केंद्र स्थापित किये जाएँ जिससे कि इस वर्ग के मतदाता बिना किसी भय के मतदान कर सकें |

34. सीवर लाइन, सेप्टीक टैंक, मैन हॉल एवं सोकपिट इत्यादि में सफाई कार्यों के दौरान जिन सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989) के अनुरूप सहायता राशि प्रदान की जायें | इस सन्दर्भ में भारत सरकार द्वारा पारित The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 की पालना भी सुनिश्चित की जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

35. राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए वाल्मीकि कोष में आवंटित बजट को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर हर वर्ष 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रदान किये जाएँ एवं इसका उपयोग केवल इस कोष की नीति के अनुसार ही हो |
36. Right to Education योजना के सभी प्रावधानों का योजना के अनुरूप क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित किया जायें, इसके लिए Grievance Redressal व्यवस्था को मजूबत किया जायें |
37. राजस्थान में निजी क्षेत्र में कार्यरत मेडिकल कॉलेज एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की बहुत अधिक फीस के कारण इनमे अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं की हर प्रकार की फीस का भुगतान इन कॉलेजों को सीधे राजस्थान सरकार द्वारा किया जायें |
38. राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न मिड डे मिल जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत सभी रसोइये एवं उनके सहायकों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को विशेष कर महिलाओं को 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जायें | जिससे कि छुआछूत जैसे अभिशाप से प्रदेश और देश को मुक्ति मिल सके |
39. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों के उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति बिल बना कर कोष कार्यालय (ट्रेजरी) भेजे जाते हैं, कई बार विद्यार्थियों के गलत खाता एवं आईएफएससी कोड संख्या मिसमैच होने के कारण (बैंकों के मर्जर या अन्य कारणों से) अथवा जनाधार में खाता संख्या सही दर्ज नहीं होने के कारण सत्र 2018-19 से ऐसे भुगतान जो रिजेक्ट हो जाते हैं या वापस जिला कार्यालयों को सही खाता संख्या दर्ज करने के लिए E-ADVICE के रूप में लौटा दिए जाते हैं, उनमें 60 दिवस की समयावधि के भीतर सही खाता संख्या दर्ज कर वापस कोष कार्यालय भिजवाए जाने की प्रक्रिया है | परंतु यह ध्यान में आया है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

कार्यालयों द्वारा लापरवाही बरतते हुए निर्धारित समय में सुधार हेतु सूचना नहीं भेजी जाती है और 60 दिवस पूर्ण हो जाने पर छात्रवृत्ति की यह राशि MINUS EXPENDITURE के रूप में राजकोष में पुनः लौट जाती है एवं पात्र छात्र/छात्राएं जिनका आवेदन एवं भुगतान स्वीकृत हुआ था वह इस वजह से छात्रवृत्ति से वंचित हो जाते हैं। गत 5 वर्षों से इस वजह से हजारों पात्र छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति स्वीकृत होने के बावजूद भी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई है।

i. अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्यवाही की जायें |

ii. वर्ष 2018-19 से अभी तक जो भुगतान रिजेक्ट हो गये हैं उन्हें एक बार फिर से कमी सुधार का मौका प्रदान किया जाए एवं इनको छात्रवृति प्रदान की जावे |

iii. 60 दिन की समयावधि समाप्त की जाए अथवा इसे 365 दिवस की जावे |

40. माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दिनांक 14, अप्रैल 2022 को एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी सिंधिया द्वारा भी पूर्व में अम्बेडकर जयंती पर सोसायटी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा ऑडिटोरियम निर्माण की घोषणा सार्वजानिक रूप से की गयी थी | इसकी पालना में मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान द्वारा फोरकास्ट एस्टीमेट (973.48 लाख रुपये) अपने पत्र क्रमांक CE(B)SE(B)/EE-IV/2022-23/D-,दिनांक-23.11.2022 द्वारा सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार को भेजा जा चुका है | अतः उपरोक्त ऑडिटोरियम के निर्माण के वित्तीय स्वीकृति एवं बजट आवटन मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को जारी कर ऑडिटोरियम निर्माण कार्य शुरू करवाया जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

41. राजस्थान सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति डेवलपमेंट फण्ड का उपयोग केवल और केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए योजना बनाकर खर्च किया जायें | इस फण्ड में से अन्य योजनाओं में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसँख्या के अनुपात में खर्चा बुक करने की परम्परा को बंद किया जायें |
42. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उद्यमों की स्थापना के लिये राजस्थान सरकार द्वारा योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, इन सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को सभी बैंकों से बिना किसी जमानत के ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जायें |
43. राजस्थान सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकान के आवंटन में वर्ष 2009 में प्रदत्त अनुसूचित जाति एवं अन्य आरक्षित वर्गों का आरक्षण बहाल किया जायें |
44. अनुसूचित जाति के जिन परिवारों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं उन सभी को आगामी पांच वर्ष में पक्के मकान उपलब्ध करवाएं जायें |
45. राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में कियोस्क आवंटन किये जाते हैं, उनमे अनुसूचित जाति वर्ग को इनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायें |
46. राज्य सरकार द्वारा पूर्व में स्थापित अम्बेडकर भवनों का संचालन डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान, जयपुर की शाखाओं को प्रदान किया जायें जिससे कि इनका उपयोग अधिक से अधिक हो सके |
47. अनुसूचित जाति वर्ग की शिकायतों के निवारण के लिए सभी सरकारी कार्यालयों/ शिक्षण संस्थानों / न्यायालयों में आंतरिक शिकायत निवारण समितियों का गठन किया जायें |
48. राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्यरत सहकारी संस्थाएं, सहकारी बैंक, दुग्ध-फल इत्यादि क्रय विक्रय समितियां, उपभोक्ता भण्डार आदि के संचालक मंडलों में पदाधिकारियों के निर्वाचन/ नियुक्ति में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण प्रदान नहीं है | पंचायती राज के अधीन ग्राम पंचायतों से जिला

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

परिषदों तक विभिन्न पदाधिकारियों के निर्वाचन में आरक्षण रोस्टर तैयार करके जिस प्रणाली से आरक्षण प्रदान किया गया है उसी प्रणाली से सभी सहकारी संस्थाओं में पदाधिकारियों के निर्वाचन/नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं अन्य सभी आरक्षित वर्गों को आरक्षण प्रदान किया जायें |

49. यह देखा गया है कि अशिक्षा और धन की कमी के कारण जेलों में वंचित वर्ग के लोगों को जमानतीय अपराध में भी जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि अशिक्षा और धन की कमी के कारण जमानत की कार्यवाही नही करवा पाते हैं | यह उनके मूलाधिकार का भी हनन है और साथ में सरकार के मूल कर्तव्य के भी विरुद्ध है | ऐसे कैदियों के लिए कानून बनाकर उनकी सहायता की जायें और केस ट्रायल के दौरान जमानती धाराओं में जमानत प्रदान की जायें |
50. देश के सभी प्रकार के संसाधनों (आर्थिक, भौतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, जल एवं जमीन इत्यादि) में अनुसूचित जाति को जनगणना वर्ष 2011 एवं आगामी जनगणना वर्ष 2021 की जनसंख्या के अनुपात में बंटवारा किया जाने/ प्रतिनिधित्व प्रदान करने का कानून पारित किया जायें |
51. राज्यसभा में कुल सांसदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सांसदों की संख्या नगण्य है | अतः लोकसभा की भांति राज्यसभा में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के लिए सांसदों के पदों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान कर राज्यसभा में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायें |
52. केंद्र सरकार की राजकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रतिशत भी जनगणना वर्ष 2011 के अनुरूप अनुसूचित जाति के लिए 15% से बढाकर 16.6% एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% से बढ़ाकर 8.6% किया जाना देय है | अतः अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.60 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8.6 प्रतिशत किया **जायें** |
53. वर्तमान व्यवस्था में राज्य सरकार को आईएएस अधिकारी दो तिहाई सीधी भर्ती से मिलते हैं और एक तिहाई आईएएस अधिकारी राज्य सेवाओं के

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

अधिकारीयों की पदोन्नति से मिलते हैं | राज्य सरकार के अधिकारीयों को इस प्रमोशन में आरक्षण प्रदान नहीं है जिसके कारण आईएएस अधिकारीयों में अनुसूचित जाति का आरक्षण प्रतिशत कम हो जाता है | अतः राज्य सेवाओं के अधिकारीयों को आईएएस में प्रमोशन करने के नियमों में आरक्षण प्रदान किया जायें | इसी अनुरूप आईपीएस और भारतीय वन सेवाओं में भी आरक्षण प्रदान किया जायें |

54. निजी क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों को भी सरकारों द्वारा कई प्रकार की रियायतें / सहायता प्रदान की जाती है एवं पिछले तीन दशक में सरकारी भर्तियों में लगातार कमी की जाती रही है, अतः निजी क्षेत्र में नौकरियों में भर्तियों में आरक्षित वर्गों को (अनुसूचित जाति सहित) सरकारी सेवाओं में लागू आरक्षण नीति के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण प्रदान करने हेतु कानून बनाया जायें |
55. अन्य पिछड़ा वर्ग की भी जनगणना करवाकर इस वर्ग को सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायें |
56. भारत सरकार के सभी विभागों में अनुसूचीत जाति एवं अनुसूचित जनजाति की चल रही बैकलॉग रिक्तियों को विशेष अभियान के तहत भरा जायें |
57. भारत सरकार द्वारा राजनीतिक एवं विवेकाधिकार नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायें |
58. सांसद निधि कोष में अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लिए भी खर्चा उनकी जनसँख्या के अनुपात के अनुरूप में अनिवार्य करने के सम्बन्ध में परिपत्र जारी किया जायें | भारत सरकार द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2023 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के कार्यों के लिए इस योजना के कुल व्यय का इनकी जनसंख्या के अनुपात में (15% एवं 7.5%) अनिवार्य रूप से व्यय करने के लिए कानून बनाया जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

59. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 6 से 10 तक पाठ्यक्रम में भारत रत्न डॉ भीमराव आंबेडकर के जीवन आदर्शों व उपलब्धियों पर आधारित एक कोर्स सम्मिलित किया जायें|

60. अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिज के तहत सहायता राशि भी दी जाती है | इसके तहत अगर कोई अनुसूचित जाति के व्यक्ति से अंतरजातीय विवाह (अनुसूचित जाति के अलावा) करता है तो उस नवविवाहित युगल को केंद्र सरकार द्वारा 2 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है | इस स्कीम का उद्देश्य समाज से जाति व्यवस्था की बुराई को खत्म करना है. साथ ही इस कुरीति के खिलाफ साहसिक कदम उठाने वाले युवाओं को प्रोत्साहित करना भी है |

    i. इस स्कीम के तहत सहायता राशि 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये राजस्थान सरकार की अंतरजातीय विवाह योजना के अनुरूप किया जायें |

    ii. इस स्कीम के तहत पिछले लगभग पांच साल से ज्यादा समय से सहायता राशि बिना कारण बताए नहीं की गयी है, ऐसे व्यक्तियों को अविलम्ब सहायता राशि प्रदान की जायें |

    iii. इस स्कीम के तहत सहायता राशि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से रोक हटाई जायें एवं सभी पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को सहायता राशि प्रदान की जायें |

61. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिला स्तर पर अम्बेडकर पुस्तकालय एवं अम्बेडकर संग्रहालय की स्थापना की जायें |

62. Corporate Social Responsibility Fund (सीएसआर फण्ड) निजी क्षेत्र द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति सामाजिक दायित्वों को निभाने का एक प्रयास है | Corporate Social Responsibility Fund (सीएसआर फण्ड) के अंतर्गत 2020-21 में 24865 करोड़ रुपये खर्च हुए,

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

जिसमें 17.89 % हिस्सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का था | अनुसूचित जाति वर्ग के हितों के कार्यों पर जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ो के अनुसार 16.6 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति का 13.50 प्रतिशत सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में कार्यरत उद्योगों एवं कम्पनीयों द्वारा खर्चा करने के लिए सांसद निधि कोष जैसा कानून बनाया जायें, जिससे कि इन वर्गों को भी इस योजना में लाभ मिल सके |

63. Right to Education योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं का विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए हर विद्यालय में सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण 16% (17.80 जनगणना 2011 अनुसार) प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन किया जायें | अन्य आरक्षित वर्गों के लिए भी इस योजना में समुचित आरक्षण प्रदान किया जायें|
64. माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यको को आरक्षण प्रदान किया जायें | न्यायपालिका में न्यायाधीशों की भर्ती के लिए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जायें जिसमें अनुसूचित जाति सहित सभी आरक्षित वर्गों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जायें एवं उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय में कम से कम 75% न्यायाधीशों की नियुक्ति भारतीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों से ही की जायें |
65. केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों में समाज के वंचित वर्ग के कुलपतियों, निदेशकों एवं बोर्ड ऑफ़ गवर्नर्स आदि की नियुक्ति में लगभग शून्य प्रतिनिधित्व है। वर्तमान में भी ऐसी को.
66. ई व्यवस्था नहीं है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी,

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869

अल्पसंख्यकों और महिलाओं की जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए कानून बनाया जायें |

67. भारत सरकार द्वारा आगे से विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सेज एवं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए अग्निवीरों में से भर्तियाँ किया जाना प्रस्तावित है, परन्तु अग्निवीरों की नियुक्ति में आरक्षण प्रदान नहीं करने के कारण उपरोक्त संस्थाओं में नियुक्तियों के लिए आरक्षित वर्ग के व्यक्ति उपलब्ध नही होंगे | अग्निवीर योजना को समाप्त करके पुरानी पद्दति से सेना में भर्तियाँ की जायें |
68. संघ लोक सेवा आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए किये जाने वाले साक्षात्कारों का विडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य हो |
69. संघ लोक सेवा आयोग में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जारी परिणामों से ज्ञात होता है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक प्राप्त होते हैं | साक्षात्कार के कुल अंको का प्रावधान कम किया जायें या समाप्त किया जायें | साक्षात्कार लेने वाले पेनल के समक्ष साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों की आरक्षित वर्ग की पहचान उजागर नहीं की जायें |
70. केंद्र सरकार के अंतर्गत जारी लेटरल एंट्री भर्तियाँ बंद की जायें |
71. केंद्र सरकार के अंतर्गत एवं राज्यों सरकारों के अंतर्गत सचिव स्तर के पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के केवल नगण्य अधिकारी पदस्थापित हैं | इन वर्गों से सचिव स्तर के पदों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु आईएएस, आईपीएस एवं अन्य भारतीय संगठित सेवाओं के अधिकारीयों के पूरे बैच (Batch) की सेवानिवृति एक साथ होने का कानून बनाया जाये अथवा इनका प्रतिनिधित्व इन वर्गों की सेवा में प्रविष्ठी के अनुरूप बढ़ाने के लिए अन्य उपाए किये जायें |

(जी.एल.वर्मा)
महासचिव
डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी
राजस्थान जयपुर
9829688869